

मकान मालिक द्वारा प्रमाणीकरण

(कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा संचालित छात्रगृह किराया पुनर्भरण हेतु )

यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा .....

पिता ..... निवासी गांव .....

.....मेरे मकान में माह ..... से

मकान किराये पर लेकर अध्ययन कर रहा/रही है और प्रतिमाह ..... रुपये दे

रहा/रही है।

(मकान मालिक के हस्ताक्षर)